बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0 संख्याः–3/अ0प्र0–01–203/2012(पार्ट) 01 /पटना, दिनांक :– 5-1-24

रिविलगंज प्रखंड अन्तर्गत गरीबा टोला से आलेख टोला बाजार होते हुए स्व0 बैद्यनाथ प्रसाद के घर तक PCC पथ निर्माण, सिताब दियारा ग्राम में BST बाँध से गरीब टोला ढ़ाला होते हुए गरीबा टोला उच्च विद्यालय तक PCC पथ निर्माण एवं BST बाँध से राजेन्द्र सिंह के घर होते हुए छोटा बैजू टोला तक PCC पथ निर्माण कार्य में अनियमितता के लिए श्री विश्व प्रताप सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–1 के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर आरोप पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक–1208 अनु0 दिनांक–28.05.2018 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सिंह के विरूद्ध निम्न आरोप अंकित किये गये हैं :–

(i) गरीबा टोला से आलेख टोला बाजार होते हुए गरीबा टोला (स्व0 बैद्यनाथ प्रसाद के घर तक) पी0सी0सी0 के निर्माण में WBM Gr-III की मुटाई प्रावधानित मुटाई से कम करने के फलस्वरूप रू0 1,46,574.00 की वित्तीय क्षति हुई है।

(ii) B.S.T. बाँध से गरीबा टोला ढ़ाला होते हुए गरीबा टोला उच्च विद्यालय तक PCC निर्माण में WBM Gr-III की मुटाई प्रावधानित मुटाई से कम करने के फलस्वरूप रू0 5,43,618.00 की वित्तीय क्षति हुई है।

(iii) B.S.T. बाँध से राजेन्द्र सिंह के घर होते हुए छोटा बैजू टोला तक पथ में PCC कार्य में WBM Gr-III की मुटाई प्रावधानित मुटाई से कम करने के फलस्वरूप रू0 6,25,079.00 की वित्तीय क्षति हुई है तथा संवेदक के विपत्र से Time extension की राशि की कटौती नहीं की गयी।

2. श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा मुख्य अभियंता–3 से कराई गई। मुख्य अभियंता–3 द्वारा की गयी समीक्षा में श्री सिंह, तदेन कनीय अभियंता के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य होने का मंतव्य दिया गया।

3. उक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यालय आदेश सख्या–38 सह–पठित ज्ञापांक 1198 अनु0 दिनांक 15.05.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवाली 2005 के नियम–17 के तहत मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. मुख्य अभियंता–1–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 3927 दिनांक 04.12.2023 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार WBM Gr-III के संबंध में आरोपित कनीय अभियंता श्री विश्व प्रताप सिंह ने अपने बचाव बयान के साथ मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा औसत के आधार पर मापी हेतु परिपत्र (आदेश सं0–1389 दिनांक–16.09.1994) को संलग्न किया है। संचालन पदाधिकारी ने उक्त आलोक में अंकित किया है कि इस परिपत्र के अनुसार प्रति किलोमीटर तीन क्रॉस सेक्शन पर मापी लेना है। प्रत्येक सेक्शन पर भी तीन मापी लेनी है। प्रत्येक सेक्शन पर बाएँ किनारे तथा बीच का औसत, दाएँ किनारे तथा बीच का औसत फिर दोनों औसतों का औसत निकालकर उस क्रॉस सेक्शन का औसत निकाला जाता है। सभी तीन क्रॉस सेक्शन की मुटाई का औसत ही उस कि0मी0 की औसत मुटाई मानी जाती है। बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय आदेश सं0–38 दिनांक–15.05.2023 के साथ संलग्न आरोप पत्र एवं जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि WBM Gr-III की मुटाई औसत निकाल कर निर्धारित नहीं की गई। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी मापी केवल Edge पर की गई है। Time Extension की कटौती का दायित्व बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के अनुसार कार्य प्रमंडलाधीन लेखापाल की होती है। अतः वर्णित तथ्यों एवं निगरानी विभाग द्वारा निर्गत पत्र तथा विभागीय आदेश सं0–66 दिनांक–01.10.2023 के आलोक में आरोपित कनीय अभियंता के बचाव बयान से सहमत होते हुए तीनों पथों में गठित आरोप को अप्रमाणित माना जा सकता है।

उक्त मंतव्य के आलोक में मुख्य अभियंता–1–सह–जाँच संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री विश्व प्रताप सिंह, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, छपरा–1 के विरूद्ध आरोप सं0–1, 2 एवं 3 को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है।

5. अतः उक्त के आलोक में श्री विश्व प्रताप सिंह, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, छपरा–1 सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 को प्रश्नगत आरोपों से मुक्त किया जाता है।

04/1/24

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–203/2012(पार्ट) 36 दिनांक :– 5-1-24

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/जिला पदाधिकारी, छपरा/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–1/प्रशाखा पदाधिकारी–4/5/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री विश्व प्रताप सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–1 सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/1/24

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

(4)

[illegible]

13